इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के 2/3 हिस्से से वादीयागण को बेदखल नही करें वादीयागण के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी नही करे वादीयागण को उनके 2/3 हिस्से की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गयी।

प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया कि प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 3 तक को लक्ष्मण जी के वारिसान के सम्बन्ध में केवल पांची बाई का उनके पत्नि होने की सीमा तक ही जानकारी हैं। सजरे को सिद्ध कराने का दायित्व वादीगण का हैं।

प्रतिवादी कैलाशचन्द ने 1775/1122 पांची बाई से दिनांक 24.01.2006 को भूमि क्रय की आराजी नं0 1420/1249 रकबा 12 बिस्वां भूमि प्रतिवादी मदनलाल ने पांचीबाई से दिनांक 20.12.2004 को क्रय की आराजी नं0 1843/61 रकबा 4 बीघा का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी कैलाशचन्द्र ने दिनांक 08–08–2007 को रामदेव पुत्र नारायण रेगर से क्रय किया इससे पूर्व दिनांक 07.08.2007 को इसी ख0न0 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी कैलाश पूर्व में ही रामदेव से क्रय कर चुका था। आ0ख0न0 1883/61 लक्ष्मण रेगर को जरिए आवंटन के प्राप्त हुई थी जब उक्त ख0 न0 की भूमि पांची बाई की खातेदारी में दर्ज हुई तब भी वह गैर खातेदारी में थी बाद में वादिया ने इसे अपनी खातेदारी में दर्ज करवाया इसके साथ ही आ0न0 61 मीन का 2 बीघा 11 बिस्वां रकबा जरिए आवंटन के पांची बाई को ही प्राप्त हुआ हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जब कोई भूमि किसी महिला के खाते में दर्ज होती है तो वह उसकी एकल स्वामिनी व कब्जेधारी होती है ओर भूमि को रहन विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 2 स्वीकार नही हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 3 स्वीकार नही हैं। वादीगण को यह जानकारी अवश्य रही है कि भूमि विक्रय हो चुकी हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 4 स्वीकार हैं तत्कालीन खातेदार के खातेदारी में भूमि दर्ज होने से भूमि का विक्रय मूल्य भुगतान कर भूमि क्रय की है वादीगण यदि किसी प्रकार के कोई हक अधिकार रखती है तो उन्हे सक्षम दिवानी न्यायालय से वाद प्रस्तुत कर विक्रय पत्रों को खारिज कराए बिना भूमि अपने नाम कराने की अधिकारिणी नहीं हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 5 स्वीकार नहीं हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 6 स्वीकार नहीं हैं। वादीगण का वादग्रस्त जायदाद में 2/3 हिस्सा नही हैं। नही उन्होंने कभी इस हिस्से की मांग की हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 7 स्वीकार नहीं हैं। वादीगण का वादग्रस्त जायदाद में 2/3 हिस्से पर कब्जा नहीं हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 8 स्वीकार नहीं हैं। दिनांक 12.10.2010 एवं 17.10.2010 को कोई बिनायदावा वादीगण को उत्पन्न नही हुई हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 9 स्वीकार नहीं हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 10 स्वीकार नहीं हैं। 25 वर्ष पूर्व दर्ज हो गयी पांची देवी की खातेदारी को चुन्नोति देना अवधिपार हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 11 में प्रतितोर की आवश्यकता नहीं हैं।

वादपत्र की चरण संख्या 12 स्वीकार नहीं हैं। वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष पाने की अधिकारी नही हैं।

ऐसी स्थिति में वादीयागण का वादपत्र खारीज फरमाया जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने जमाबन्दी वादग्रस्त आराजीयात आ.न. 1883/61 संवत् 2065 से 2068 पेश की जो EX-1 हैं, जमाबन्दी वादग्रस्त आराजीयात आ.न. 1775/1122 संवत् 2065 से 2068 पेश की जो EX-2 हैं, जमाबन्दी वादग्रस्त आराजीयात आ.न. 1420/1249 संवत् 2065 से 2068 पेश की जो EX-3

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

हैं, जमाबन्दी वादग्रस्त आराजीयात संवत् 2057 से 2060 पेश की जो EX-4 हैं, जमाबन्दी वादग्रस्त आराजीयात संवत् 2036 से 2039 पेश की जो EX-5 हैं, जमाबन्दी वादग्रस्त आराजीयात संवत् 2036 से 2039 पेश की जो EX-6 हैं, जमाबन्दी वादग्रस्त आराजीयात संवत् 2061 से 2064 पेश की जो EX-7 हैं, नामान्तकरण सं. 336 ग्राम थड़ौदा पेश की जो EX-8 हैं।

प्रतिवादी ने भी निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये। मूल रजिस्ट्री कैलाशचन्द के नाम, मूल रजिस्ट्री कालूलल के नाम, मूल रजिस्ट्री मदनलाल के नाम, मूल रजिस्ट्री कैलाशचन्द के नाम की पेश की हैं।

वादपत्र व जवाबदावा के तथ्यो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई ।

तनकी नं0 1 – आया वादग्रस्त भूमि वादीयागण की पुश्तैनी भूमि होकर वादीयागण का 1/3, 1/3 हिस्सां होकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य हैं ?

..... जिम्मे वादीयागण

तनकी नं0 2 – आया वादग्रस्त भूमि में वादीयागण 2/3 हिस्से में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं ?

.....जिम्मे वादीयागण

तनकी नं0 3 – आया विक्रय पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय से खारिज करवाये बिना वादपत्र चलने योग्य नहीं है ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 4 – आया वादपत्र राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नही होकर दीवानी न्यायालय के क्षैत्राधिकार का हैं ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 5 – आया वादपत्र अवधिपार हैं ?

.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 6 – आया अनुतोष क्या होगा?

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

शहादत वादी में वादीगण ने पीडब्ल्यू 1 भागूती देवी पिता लक्ष्मण रेगर निवासी थड़ौदा हाल सलावटियां को साक्ष्य में प्रस्तुत कर बयान कराये गये।

पीडब्ल्यू 1 भागूती देवी पिता लक्ष्मण रेगर निवासी थड़ौदा हाल सलावटियां ने अपने बयान में लिखाया कि हमारी जमीन जायदाद ग्राम थड़ौदा में स्थित है। वादग्रस्त जमीन हमारी पुश्तैनी हैं। हमारे पिता लक्ष्मण पिता लखमा के हम दो सन्ताने वादीयागण हैं वादग्रस्त जमीन में हम वादीयागण का 2/3 हिस्सा हैं और हिस्से अनुसार ही काश्त करते हुये आ रहे हैं। वादग्रस्त जमीन में 1/3 हिस्सां हमारी मां का था। जिसमें जमीन हिस्से अनुसार बेच दी मेरे पिताजी का देहान्त हुये करीब 25–30 वर्ष हो गये है तब से ही हम हमारे 2/3 हिस्से पर काश्त करते आ रहे हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात राजस्व रेकॉर्ड में हमारा नाम रेकॉर्ड में दर्ज होना चाहिये था। जो नही किया गया इस हेतु राज़स्व रेकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। मैंने राजस्व रेकॉर्ड वर्तमान जमाबन्दी 2065 से 2068 पेश की जो प्रदर्श 1, 2, 3 मैंने जमबान्दी 2057 –2060 पेश की जो प्रदर्श 4 हैं। जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 पेश की जो प्रदर्श–5–6 हैं। जमाबन्दी 2061 से 2064 जो पेश की जो प्रदर्श –7 हैं नामान्तकरण संख्या 336 की नकल पेश की जो प्रदर्श–8 हैं। हमारा नाम हमारे हिस्से अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

जिरह में लिखाया कि मेरे पिताजी की मृत्यु को साल हुये मुझे पता नही मेरे ससुराल जाने के बाद पिताजी की मृत्यु हुयी तथा पालन पोषण पिता ने ही किया। मेरे पिताजी की मृत्यु हुयी। पांचीबाई व मेरे पिताजी साथ साथ ही रहते थे। मेरे अलावा एक बहिन और हैं जिनका नाम भोली हैं। मेरे पिताजी द्वारा किसी को गोद नही लिया तथा एक लड़का पांची बाई के साथ आया यह कहना गलत है कि वह हमारे साथ रहता

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्या (329/2010)
33/2018

दायर तारीख (14.05.2010)
05.04.2018

अनवान

01. भागुती देवी पुत्री लक्ष्मण जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा हाल मुकाम सलावटियां तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. भोलीदेवी पुत्री लक्ष्मण जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा हाल मुकाम सलावटियां तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. कालुलाल पिता देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी थड़ौदा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कैलाशचन्द्र पुत्र हीरा जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी थड़ौदा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. मदनलाल पुत्र हीरालाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी थड़ौदा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... प्रतिवादीगण

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश धाकड़ – अधिवक्ता वादी
2. श्री मुकेश धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :–

दिनांक : 06/11/2024

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीयागण के पिता लक्ष्मण के कोई पुरूष संतान नहीं हुई। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लक्ष्मण के तीन वारीस थे जो पांचीबाई लक्ष्मण की पत्नी एवं दोनों पुत्रियां वादीगण हैं। वादीयागण की मां पांचीबाई की मृत्यु हो चुकी हैं। संवत् 2036 से 39 एवं इससे पूर्व के राजस्व रेकॉर्ड में ग्राम थडौदा प0ह0 थडौदा की सरहद में मृतक खातेदार लक्ष्मण पुत्र लखमा रेगर की कृषि भूमि आराजी नं0 1420/1249 रकबा 12 बिस्वां, आराजी नं0 1775/1122 रकबा 13 बिस्वां, आराजी नं0 1883/61रकबा 4 बीघा कुल किता 3 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वां जमीन स्थित थी। वादीगण का पिता लक्ष्मण उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार होकर कब्जेधारी थी। संवत् 2036 के आसपास खातेदार लक्ष्मण का देहावसान हो गया। खातेदार लक्ष्मण की मृत्यु के बाद हिन्दु उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं उनकी माता पांचीदेवी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड किया जाना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना किए बगैर एवं खातेदार लक्ष्मण के सही वारीसान की जानकारी किए बगैर खातेदार लक्ष्मण की विरासत का नामान्तरण अकेली पॉची देवी के नाम तस्दीक कर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर दिया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा किया गया उपरोक्त अंकन विधि विरूद्ध होकर निरस्त किए जाने योग्य हैं। वादीगण खातेदार लक्ष्मण की जायन्दा पुत्रीया होकर प्रथम श्रैणी की वारिस है। वादीयागण वादग्रस्त आराजीयात में 1/3, 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने योग्य हैं। वादीया ने अनुतोष चाहा कि मौजा थडौदा प0ह0 थडौदा की आराजी नं0 1420/1249 रकबा 12 बिस्वां, आराजी नं0 1775/1122 रकबा 13 बिस्वां, आराजी नं0 1883/61 रकबा 4 बीघा कुल किता 3 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वां जमीन में 2/3 हिस्से की खातेदार वादीयागण हैं एवं प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से डिलीट किया जाकर वादीयागण को वादग्रस्त आराजीयात के 2/3 हिस्से की खातेदार दर्ज किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

हैं। पुनः कहा छोटा था तब साथ रहता था। यह बात सही हैं कि मेरे सासुराल जाने के बाद जमीन पर पहले तो पांचीबाई व लड़का ही खेती करता था। मेरे पांच सन्ताने हैं मेरे सबसे बडी सन्तान की उम्र क्या हैं। मेरे चार सन्तानों की शादी हो चुकी हैं हमारे समाज में मायरा की प्रथा चालू हैं मेरे मायरा नही आया हैं। यह बात सही हैं कि मायरा भी नही पहनाया तथा पांचीबाई तथा रामदेव दोनों

खेती करते थे। ये जमीन का दावा किया जो अलग अलग जगह से हैं। ये मुझे पता नहीं की जमीन कितनी जगह पर हैं मुझे पता नही हैं यह बात सही है कि ससुराल आने के बाद जमीन पर नही गयी हूं। ये बात सही हैं कि वादग्रस्त जमीन पर कब्जा पांची बाई का था व खेती बाडी भी वही कर रही थी। दावा इसलिए किया हैं कि मेरे को अपने पीहर लाते लेजाते नही हैं। इसलिए दावा किया हैं। कि पांचीबाई इसी जमीन को बेच दी हो तो मुझे पता नही। यह दावा मेंने किसके खिलाफ किया मुझे पता नहीं। तथा मैं अब पीहर नही जाना चाहती हूं मेरी दुसरी बहिन के भी बालक बच्चे हैं जिनकी शादी हो गयी हैं। यह वादग्रस्त जमीन मेरे पिता के अलोट हुयी। मुझे इस जमीन पर गये करीब 15–16 साल हो गये हैं। जमीन पर मक्की बोया करते तथा पांचीबाई व रामदेव ही करते हैं। वादग्रस्त भूमि से मेरे कितनी जमीन चाहिए मुझे पता नही है वादग्रस्त आराजी में जमीन किस किस के नाम हैं मुझे पता नहीं हैं। मुझे पता नही हैं कि मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात जमीन पांचीबाई के नाम दर्ज हो गई हो। मेरा ससुराल सलावटियां गांव में है। मुझे कुछ नही चाहियें।

वादीगण द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

प्रतिवादी कालु पिता देबी रेगर नि थड़ौदा ने अपने बयान में लिखाया कि लक्ष्मण जी की घरवाली का नाम पांची बाई हैं। लक्ष्मणजी हमारे गांव के है जो हमारे भाई बन्धों में थे। मै जमीन को क्रय करने से पूर्व जानता था। विवादित जमीन को रामदेव को बेचान पांची बाई ने की। इस भूमि पर पांची बाई काश्त करती थी। पांची बाई के अलावा उक्त भूमि पर काश्त करते नही देखा है। लक्ष्मण जी के दो लड़किया थी। लक्ष्मणजी के पांचीबाई नातायत पत्नी हैं। विवादीत जमीन में से 2 बीघा जमीन खरीदी जिसकी रजिस्ट्री हो गई वर्तमान में हमारा कब्जा काश्त हैं। विवादीत आराजी के सम्बन्ध अन्य न्यायालयों में दावा नही चल रहा हैं। मेरे नाम पर जो रजिस्ट्री हुई जो EXD-1 हैं। जिस पर A-B विक्रेता रामदेव के हस्ताक्षर हैं

जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता – लक्ष्मण पिता लखमा रेगर को मै जानता हूं जो शांत हो गये। लक्ष्मण के दो लड़किया भागुती व भोली हैं। लड़का नही था। लक्ष्मण की घरवाली शांत हो गई। लक्ष्मण ने नाता विवाह पांचीबाई के साथ किया। पांची बाई के कोई जीवित सन्तान नही हैं। लक्ष्मण की जमीन जायदाद को जानता हूं। लक्ष्मण के नाम पर ग्राम थड़ौदा में जो इनके बाप दादाओं की थी। लक्ष्मण की जमीन में इनकी लड़किया का हिस्सा बनता हैं। मै नही जानता हूं।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बताया की मौजा थडौदा प0ह0 थडौदा की आराजी नं0 1420/1249 रकबा 12 बिस्वां, आराजी नं0 1775/1122 रकबा 13 बिस्वां, आराजी नं0 1883/61 रकबा 4 बीघा कुल किता 3 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वां जमीन में 2/3 हिस्से की खातेदार वादीयागण हैं एवं प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से डिलीट किया जाकर वादीयागण को वादग्रस्त आराजीयात के 2/3 हिस्से की खातेदार दर्ज किया जावे। तथा प्रतिवादी अधिवक्ता ने बताया कि प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 3 तक को लक्ष्मण जी के वारिसान के सम्बन्ध में केवल पांची बाई का उनके पत्नि होने की सीमा तक ही जानकारी प्रतिवादी कैलाशचन्द्र ने 1775/1122 पांची बाई से दिनांक 24.01.2006 को भूमि क्रय की आराजी नं0 1420/1249 रकबा 12 बिस्वां भूमि प्रतिवादी मदनलाल ने पांचीबाई से दिनांक 20.12.2004 को क्रय की आराजी नं0 1843/61 रकबा 4 बीघा का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी कैलाशचन्द्र ने दिनांक 08–08–2007 को रामदेव पुत्र नारायण रेगर से क्रय किया इससे पूर्व दिनांक 07.08.2007 को इसी ख0न0 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी कैलाश पूर्व में ही रामदेव से क्रय कर चुका था। आ0ख0न0 1883/61 लक्ष्मण रेगर को जरिए आवंटन के प्राप्त हुई थी जब उक्त ख0 न0 की भूमि पांची बाई की खातेदारी में दर्ज हुई तब भी वह गैर खातेदारी में थी बाद में वादिया ने इसे अपनी खातेदारी में दर्ज करवाया इसके साथ ही आ0न0 61 मीन का 2 बीघा 11 बिस्वां रकबा जरिए आवंटन के पांची बाई को ही प्राप्त हुआ हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार जब कोई भूमि किसी महिला के खाते में दर्ज होती है तो वह उसकी एकल स्वामिनी व कब्जेधारी होती है ओर भूमि को रहन विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता हैं।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी की बहस पर मनन किया। वादिया स्वयं ने हमने बयानों की जिरह में स्वीकार किया की वादग्रस्त भूमि से मेरे कितनी जमीन चाहिए मुझे पता नही है वादग्रस्त आराजी में जमीन किस किस के नाम हैं मुझे पता नहीं हैं। मुझे पता नही हैं कि मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात जमीन पांचीबाई के नाम दर्ज हो गई हो। मेरा ससुराल सलावटियां गांव में है। मुझे कुछ नही चाहियें। अतः वादीया ने स्वयं अपने जरिह में वादीया द्वारा स्वीकार्य कथनों को मध्य नजर रखते हुए वादीया के वादपत्र को खारिज करना उचित है।

—: आदेश :—

अतः प्रस्तुत वादपत्र वादीयागण अर्न्तगत धारा **88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण **खारिज** किया जाता है। डिक्री मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 06/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला—भीलवाड़ा
बिजोलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजोलियां जिला—भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या (329/2010)
33/2018

दायर तारीख (14.05.2010)
05.04.2018

अनवान

01. भागुती देवी पुत्री लक्ष्मण जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा हाल मुकाम सलावटियां तहसील बिजालियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. भोलीदेवी पुत्री लक्ष्मण जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी थड़ौदा हाल मुकाम सलावटियां तहसील बिजालियां जिला भीलवाडा (राज0)

.....डिक्रीदार

बनाम

1. कालुलाल पिता देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी थड़ौदा तहसील बिजालियां जिला भीलवाडा (राज0)
2. कैलाशचन्द्र पुत्र हीरा जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी थड़ौदा तहसील बिजालियां जिला भीलवाडा (राज0)
3. मदनलाल पुत्र हीरालाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी थड़ौदा तहसील बिजालियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... मदयूनान

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश धाकड़ – अधिवक्ता वादी
2. श्री मुकेश धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादी

धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 06/11/2024
डिक्री दिनांक : 06/11/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियॉ बहाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री जगदीश धाकड़ व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री मुकेश धाकड़ हुकम दिया जाता हैं कि प्रस्तुत वादपत्र वादीयागण अर्न्तगत धारा 88–188 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण **खारिज** किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करें।

नीज .....Nil.....मुबलिग ..... Nil .....बाबत् .....
Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 11 वर्ष 2024 को जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां
बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा